न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05/2017

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
प्रहलादराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु पनजी, पंचायत समिति बायतु जिला बाड़मेर 2. दीपाराम पुत्र रासाराम जाति मेघवाल निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 13 दिनांक 20.12.2008 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 15/02/2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 दीपाराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम पुराना गांव मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 13 दिनांक 20.12.2008 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 750 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के स्वामित्व एवम आधिपत्य का पट्टा सुदा एक आवासीय भूखण्ड मय रहवासी मकान मौजा पुराना गांव बायतु पनजी की आबादी भूमि में आया हुआ हैं जिसमें प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा हैं। प्रार्थी के इस भूखण्ड का ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा दिनांक 22.12.2004 को आबादी का पट्टा मिसल सं. 7/18 प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पट्टे की भूमि में उत्तर–पश्चिम की भुजा की तरफ 27 फीट तक रहवासी परिसर/मकान का निर्माण करवाया है और शेष 03 फीट भूमि निगरानीकर्ता ने अपने सुखाचार (हवा, पानी व प्रकाश) के लिये छोड़ रखी हैं जहां खिड़कियां व दरवाजे छोड़ रखे हैं। प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल रंग से उक्त 3 फीट भूमि को दर्शाया गया हैं एवं जिसके आगे आम रास्ता प्रारम्भ होता हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अर्सा 8–10 दिन पूर्व प्रार्थी की ओर से छोड़ी गई 03 फीट भूमि व आम रास्ते भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तब प्रार्थी ने रोकना चाहा लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ने ऐलिनिया धमकियां देते हुए कहा कि वे प्रार्थी के सुखाचार को अवरूद्ध कर दरवाजे व खिड़कियां बन्द कर देंगे। इस पर प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बायतु के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 2 ने अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अपने भूखण्ड का आलौच्य पट्टा प्रस्तुत किया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त आलौच्य पट्टा विलख जारी करवाया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने जो आलौच्य पट्टा विलेख सं. 13 / 2008 दिनांक 20.12.2008 अपने पक्ष में जारी करवाया हैं उसमें वर्णित नाप व पडौस के अनुरूप कोई भूमि निगरानीकर्ता के उत्तर पश्चिम की तरफ लोकेट नहीं होती है क्योंकि प्रार्थी के पट्टे में वर्णित नाप व पडौस के अनुरूप उत्तर–पश्चिम में आम रास्ते की भूमि दर्शाई गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जबकि इस नियम के तहत पुराने गृहों का नियमितीकरण के तहत जारी किया जाता हैं जिसमें आवेदनकर्ता का 20–25 वर्ष पूर्व का भौतिक कब्जा होना आवश्यक है और पुराना कच्चा या पक्का निर्माण होना आवश्यक है लेकिन जिस भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 को पट्टा जारी किया गया हैं उस भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का कोई पुराना 20–25 वर्ष पूर्व का अधिपत्य नहीं हैं मौके पर उक्त स्थल पूर्ण रूप से खाली पड़ा हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने की पत्रावली में तत्समय आसीन किसी भी वार्ड पंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर, बैठक कार्यवाही नोट शीट में अंकित नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत कार्यालय में केवल मात्र पट्टे की प्रति मौजूद हैं कोई मिसल मौजूद नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 तत्समय आसीन सरपंच ने अप्रार्थी सं. 2 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से नियम 157 एवं अधिनियम के किसी भी प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं उस पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी काबिज है लेकिन बाले–बाले त[illegible] [illegible]र्थी की भूमि व आम रास्ता की भूमि गलत तरीके से हड़पने के लिए नियम विरूद्ध उक्त पट्टा जारी करवा दिया हैं जो अपास्त किये जाने [illegible] हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

में जारी पट्टा सं. 12 दिनांक 20.12.2008 को शुन्य एवं निरस्त घोषित करावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 13 दिनांक 20.12.2008 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत बायतु पनजी की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 का आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पट्टे की भूमि से आगे बढ़कर अप्रार्थी सं. 2 के पट्टे वाली भूमि को हड़पने की नीयत से खिड़कियां रखी गई, जिस पर आपत्ति किये जाने पर स्वंय ही बन्द करने हेतु सहमत हुआ किन्तु जब अप्रार्थी सं. 2 ने अपने कब्जे व पट्टे की भूमि पर कच्चे मकान की जगह पक्का मकान निर्माण शुरू किया तो नाहक परेशान करने की गरज से पहले पुलिस थाना बायतु में मुकदमा दर्ज किया फिर सिविल न्यायालय में निषेधाज्ञा का वाद दायर किया किन्तु अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विधिवत रूप से पट्टा जारी होने से प्रार्थी को किसी भी स्तर पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ । इसके पश्चात यह निगरानी प्रार्थना-पत्र बिना किसी आधार पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट में ही यह स्पष्ट हो गया हैं कि प्रार्थी का अपने पट्टे से अधिक भूमि पर कब्जा हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष अपने पुराने कब्जा शुदा आवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने हेतु दिनांक 05.04.2008 को नियमानुसार आवेदन पत्र मय नक्शा साईट प्लान एवं फीस प्रस्तुत किया था जिस पर ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्ताव सं. की पालना में मिसल सं. 10/2008-09 कायम की गई। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवेदित भूखण्ड का मौका निरीक्षण करने हेतु मौका कमेटी को आदेशित किया गया। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पंचायत की ओर से गठित मौका कमेटी द्वारा दिनांक 14.04.2008 को अप्रार्थी सं. 2 एवं पडौसियान के रूबरू मौका निरीक्षण कर मौका प्रतिवेदन तैयार किया। मौके पर अप्रार्थी सं. 2 के कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी करने पर 40—50 वर्षों के लगभग कब्जा होना बताया गया तथा किसी भी पड़ौसी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में कोई आपत्ति—ऐतराज प्रकट नहीं किया गया। ग्राम पंचायत की आम बैठक दिनांक 05.07.2008 में मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित किये जाने का 1 माह का नोटिस जारी करने का निर्णय प्रस्ताव सं. 2 में लिया गया। इस सार्वजनिक आपत्ति के नोटिस का मौतबिरान के रूबरू ग्राम पंचायत कार्यालय एवं आवेदित स्थल पर प्रकाशन कर मौतबिरान के हस्ताक्षर—अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये। इसके पश्चात निर्धारित 1 माह की अवधि तक किसी प्रकार की आपत्ति—ऐतराज प्रस्तुत नहीं होने पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.08.2008 में प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा विक्रय विलेख जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया एवं अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में मौके कमेटी की सिफारिश अनुसार पुराने गृहों के विनयमितीकरण के अन्तर्गत 200 रूपये जमा करने हेतु अप्रार्थी को सूचित किया गया एवं पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश पीठासीन सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। इस पर अप्रार्थी सं. 2 ने आगामी पंचायत बैठक दिनांक 20.12.2008 को स्वंय उपस्थित होकर निर्धारित 200.00 रूप्ये जमा कर रसीद सं. 30 / 19.12.2008 प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत की बैठक में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राशि जमा की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार आलौच्य पट्टा विधि सम्मत नियमों की पालना करते हुए दिनांक 20.12.2008 को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई हैं तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य पट्टा विधि सम्मत तरीके से जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत की कार्यवाही में किसी प्रकार की अनियमितता, अवैधता अथवा अपूर्णता के तथ्य को प्रकट नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया हैं। प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत, निराधार एवं विधि विरूद्ध तरीके से महज अप्रार्थी सं. 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा एवं आधिपत्य हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 ने उसकी 03 फीट छोड़ी गई भूमि एवं आगे आम रास्ते की भूमि पर गलत पट्टा जारी करवाया हैं जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्डों के मौके की स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बायतु से प्राप्त की गई जिसमें स्वंय प्रार्थी के भूखण्ड के भी नाप व पडौस मेल नहीं खाते हैं। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने आम रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करवाया हैं तो तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड के पश्चात पश्चिम दिशा में मौके पर गली होना बताया हैं तथा प्रार्थी के आने–जाने हेतु उत्तर दिशा में आम रास्ता चालू हैं। प्रार्थी की ओर से सिविल न्यायालय में दायर वाद में भी प्रार्थी द्वारा उल्लेखित अनुसार भौतिक स्थिति नहीं पाये जाने पर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड का पट्टा दिनांक 22.12.2004 को जारी होना बताया हैं जबकि आदिनांक प्रार्थी के भूखण्ड के भी नाप व पडौस मिलान नहीं हो रहे हैं इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा दिनांक 20.12.2008 को जारी किया गया हैं तथा इतने वर्षो के पश्चात यदि मौके की स्थिति में कोई फेरबदल हो गया हैं तो आदिनांक की स्थिति में यह निगरानी अधीन कार्यवाही को चुनौती दिये जाने का आधार नहीं हो सकता हैं। प्रार्थी ने अपने इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर 2015(2)डीएनजे(राज.)595 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि यदि भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में कब्जा कितने वर्षो पुराना हैं व आवेदित भूखण्ड का क्षेत्र अंकित नहीं किया गया हैं तथा पंचायत द्वारा किसी प्रकार विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कार्यवाही संस्थित नहीं की गई हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा दीर्घ कब्जे के आधार पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 ने अपने आवेदन पत्र में 60 वर्ष पुराना कब्जा होना अंकित किया हैं तथा आवेदित भूखण्ड का नक्शा साईट प्लान भी प्रस्तुत किया हैं। इस पर ग्राम पंचायत की ओर से गठित मौका कमेटी द्वारा इसकी जांच में अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा 40–50 वर्ष पुराना होना माना हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक निर्णय नजरी इस प्रकरण में किसी भी रूप में लागू नहीं होती हैं। इसी प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अन्य निर्णय नजीर 2019(2)डीएनजे(राज.)570 प्रस्तुत की गई जिसमें भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से पुराने गृहों के विनियमितीकरण में पुराने कब्जे की अवधि का उल्लेख होने पर नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया जाना विधिसम्मत माना हैं। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा कायम की गई पत्रावली के अवलोकन से सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत होना पाया जाता हैं। इसके अलावा भी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना पत्र का स्कोप सीमित हैं जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही का परीक्षण कर उसकी सत्यता, वैधता एवं पूर्णता के पहलु पर निश्चय किया जाना हैं। ग्राम पंचायत बायतु पनजी से आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित प्राप्त पत्रावली में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता हैं, साथ ही प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की किसी कार्यवाही अथवा प्रक्रिया को आक्षेपित नहीं किया गया हैं। जहां तक पक्षकारों के विवादित भूमि में हित–स्वामित्व एवं कब्जे का विवाद यदि कोई हैं तो इसका निस्तारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता हैं। ऐसे में प्रार्थी का यह निग[illegible] राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित [illegible] की कसौटी पर प्रस्तुत अभिलेख का अवल[illegible] योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:26 IST
Reason: SelfAttested